

23/08/22

पञ्जावली काठ पेश हुई। वकील वादीगण
उपस्थित। वकील वादीगण ने उक्त
वाइपर रिफिक 18/09/2020 को मस
न्यायालय के दफ्तर किया का/लगाकर
2 वर्षों का समय व्यतीत होने के
उपरान्त भी वादीगण के अधिकारण
उक्त प्रतिवादीगण भी तलबी पूर्ण नहीं
करवाए हैं। इसके पद प्रतीत होता
है कि वादीगण व वादीगण के अधिकारण
की मरु उकरण के मरु कोर रूफिनर्ष
रथ है मरु। उक्त उरण उकरण
तलबी के मरुके मरुतीत मरु
9 रिफिक 5 सी.पी.सी. के तहत खारि
किया जाता है। पञ्जावली रिफिक सुमार
दोकर राखिल दफ्तर है।



सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) गुडामालाना